न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 95/2022 **दायरा दिनांक : 27.06.2022**

उनवान

कैलाश चन्द मुतबन्ना लक्ष्मीनारायण, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम बोरदा, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– रूपचन्द आत्मज बिरधीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम बोरदा, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां
2– कान्ती बाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी राधेश्याम गौतम, जाति ब्राहमण हाल निवासी गागरोन गेट, तेजाजी का चौक, झालावाड
3– शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा छीपाबडौद, जिला बारां
4– भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन सिंचाई परियोजना झालावाड /बारां
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अशोक कुमार गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 16.10.2023**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद के प्रकरण संख्या – A153/2020 दावा निर्णय दिनांक 12.04.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं निरस्त किये जाने इन्तकाल संख्या 157 ग्राम बोरदा पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 51 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 52 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 53 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 54 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 55 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 56 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 237 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा किता 7 कुल रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा मौजा बोरदा, पटवार हल्का बिलेण्डी, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां राजस्थान में वाके है जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 89 सम्वत 2073–76 से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खातेदारी एवं वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद ने अपने निर्णय दिनांक 12.04.2022 के अनुसार अप्रार्थी कम 2 का प्रार्थना पत्र धारा 11 व 151 सी पी सी स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद पत्र रेसिजुडीकेटा (पूर्व निर्णित) होने से खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेंट कम 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 151 सी पी सी को स्वीकार कर अपीलांट का दावा खारिज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम बोरदा, तहसील छीपाबडौद स्थित कुल 7 किता की कुल 15 बीघा 18 बिस्वा आराजी लक्ष्मीनारायण आत्मज भैरूलाल के खातेदार की आराजी है। लक्ष्मीनारायण जी द्वारा अपीलांट को बाल्यकाल में ही गोद लेकर अपने पास रखा तथा अपीलांट जीवन पर्यन्त लक्ष्मीनारायण जी की सेवा सुश्रुषा करता रहा। अपीलांट के सभी दस्तावेजों में पिता के स्थान पर लक्ष्मीनारायण का नाम है। लक्ष्मीनारायण जी का कुंवारा ही स्वर्गवास हो जाने के बाद रेस्पोडेंट द्वारा ग्राम पंचायत बिलंडी से मिलीभगत कर इंतकाल नम्बर 157 दिनांक 08.06.2000 तस्दीक करवा लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है तथा उक्त इंतकाल से रेस्पोडेंट को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, किन्तु फिर भी अपीलांट का वाद खारिज कर दिया, जो कि सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि पूर्व में प्रस्तुत वाद के तथ्य एवं पक्षकार भिन्न भिन्न हैं जिन पर धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, किन्तु फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 11 सी पी सी के प्रावधान लागू होना मानकर दावा वादी खारिज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि पूर्व के प्रकरण में अपीलांट पक्षकार नहीं है। साथ ही रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत करने के बावजूद भी दावा वादी खारिज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि पत्रावली पर रेस्पोडेंट द्वारा पूर्व के आदेश को प्रस्तुत नहीं किया जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के बावजूद भी दावा खारिज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रेसज्यूडिकेटा का प्रश्न तथ्य एवं विधि का प्रश्न है जो तनकी बनाकर बाद साक्ष्य ही निर्णिय किया जा सकता है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा उक्त मत को प्रतिपादित किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरों में भी उक्त मत को माना गया है किन्तु फिर भी अपीलांट का वाद खारिज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि वादी का वाद घोषणा खातेदारी का वाद है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है उक्त तथ्य को नजरअन्दाज कर दावा खारिज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि बाद मृत्यु लक्ष्मीनारायण जी के अपीलांट बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा इंतकाल नम्बर 157 सम्मरी प्रोसिडिंग है जिससे किसी को हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, किन्तु फिर भी दावा वादी खारिज कर दिया। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जाकर वादी का वाद रिमाण्ड कर डिक्री फरमाया जावे।

4 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस् जारी किये गये। बहस अभिभाषकगण उभयपक्षीय सुनी गई।

5 बहस अभिभाषकगण उभयपक्षीय सुनी गई, प्रस्तुत अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलांट वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.04.2022 निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.04.2022 से वादी अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत वाद रेस्पोडेंट नम्बर 2 जो कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नम्बर 2 थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 151 सी. पी. सी. को स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए यह कथन किया है कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश किये गये समस्त दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि उक्त वाद रेसज्यूडीकेटा (पूर्व निर्णीत) होने से खारिज योग्य है। पूर्व में निर्णीत वाद नं. 94/2015 दिनांक 29.07.2016 को निर्णीत हो चुका है। उक्त वाद की न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा भी अपील निरस्त की जा चुकी है। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी अपील निर्णित की जा चुकी है। अतः अप्रार्थी कम 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जाना न्यायोचित होगा।

6 अपील के साथ सलंग्न पूर्व में निर्णीत वाद सं. 94/2015 निर्णय दिनांक 29.07.2016 न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में प्रस्तुत अपील संख्या 273/2016 निर्णय दिनांक 03.08.2016 व न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत अपील/डिकी/टीए/8347/2016/बारां निर्णय दिनांक 03.12.2020 का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि उक्त वाद एवं अपीलों में वर्तमान अपीलांट कैलाश चन्द पक्षकार नहीं था। उक्त वाद एवं दोनों अपीलों के विवाद्यक का विषय भी भिन्न था। रेसज्यूडीकेटा (पूर्व न्याय) का सिद्धांत तभी लागू होगा जब किसी न्यायालय द्वारा किसी वाद और विवाद्यक को पूर्ववर्ती वाद में पहले ही निर्णीत कर दिया हो। पूर्व में निर्णीत वाद और नये वाद में समान पक्षकार हो। पूर्ववर्ती वाद में वाद और विवाद्यक का विषय प्रत्यक्षतः और सारतः वही था जो नए वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः उठाया गया है। वादी अपीलांट कैलाशचन्द द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद के न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या A153/2020 दायर दिनांक 28.12.2020 पर रेसज्यूडीकेटा (पूर्व न्याय) का सिद्धांत लागू होना नहीं पाया जाता। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2022 विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

7 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2022 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट वादी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, तनकीयात कायम कर, साक्ष्य लेखबद्ध करते हुए तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद के यहां दिनांक 18.12.2023 को उपस्थित होवें।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/10/23

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा